कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / बाल संरक्षण / 2016 / दिनांक : 18-05-2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय

विषय :–विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :–उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक : प.24 (4) शिक्षा–6 / 2014 जयपुर, दिनांक : 20.07.2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश हेतु कार्य योजना के प्रारूप निर्माण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक : 24.04.2017 को कार्यालय हाजा स्थित उप निदेशक (माध्यमिक) के कक्ष में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा फील्ड में सम्बन्धित अधिकारियों, संस्था प्रधानों, शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी कराने का निर्णय लिया गया।

विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित, संरक्षित एवं सर्वांगीण विकासोन्मुख वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है, लेकिन लैंगिक असमानता एवं अवांछित छेड़–छाड़ की घटनाएं इसे चुनौतीपूर्ण रूप से बाधित करती रहती है। अतः समसामयिक परिस्थितियों में संस्था प्रधानों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, विद्यालय के अन्य कार्मिकों तथा अभिभावकों में जागरूकता अभिवृद्धि एवं पारस्परिक समन्वय की तीव्र आवश्यकता है।

वर्तमान में राज्य में विभिन्न कक्षाओं में विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण विषय वस्तु में सामाजिक, लैंगिक और अन्य विभेदकारी तत्वों को हतोत्साहित करते हुए सकारात्मक विषय वस्तु का समावेश किया गया है। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता को भी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है।

उपर्युक्त समस्त प्रावधानों एवं प्रयासों की विद्यालयों में व्यावहारिक तथा प्रभावी स्वरूप में क्रियान्विति हेतु विभिन्न स्तरों पर अंग्राकित विवरणानुसार तत्काल कार्यवाही सम्पादित की जानी अपेक्षित है :–

1. विद्यालय के समस्त कार्यरत कार्मिकों, शिक्षकों, SDMC व SMC के सदस्यों को "लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम–2012" की कतिपय धाराओं यथा धारा–19(i) एवं 21 में विहित प्रावधान, जो समस्त कार्मिकों को दायित्व बद्ध करते हैं कि बाल / यौन प्रताड़ना से सम्बन्धित घटनाओं पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए, की अवगति प्रदान करवाते हुए प्रत्येक स्तर पर इसकी सख्ती से पालना हेतु पाबन्द किया जाए।
2. उत्पीड़न एवं प्रताड़ना के शिकार बालक–बालिकाओं के साथ घटने वाली घटना के सम्बन्ध में तत्काल सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से रिपोर्ट फाइल की जाए।
3. विद्यालय स्तर पर इस हेतु समस्त कार्मिकों एवं SDMC व SMC के सदस्यों व विद्यार्थियों का आमुखीकरण / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता व समानता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
4. विद्यालय में उत्तरदायी भूमिका में निबद्ध कार्मिकों द्वारा इस तरह के अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर सम्बन्धित पक्ष / व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Scanned by CamScanner

5. विद्यालय के कक्षा–कक्षों में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। यथा–कक्ष में शिक्षक व्यवहार करते समय परम्परागत सोच से इतर एक समानता का समावेशी वातावरण निर्मित करें।
6. विज्ञ शिक्षकों द्वारा किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में बालक बालिकाओं का अभिमुखीकरण किया जाए। विद्यालय में इस हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
7. विद्यार्थियो के मध्य समानता एवं पारस्परिक सौहार्द्र का वातावरण विकसित करने हेतु विभिन्न प्रेरक गतिविधियां व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए।
8. किशोर बालिकाओं के मध्य स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने एवं उन्हें उक्तानुरूप सुरक्षा सुनिश्चित करवाये जाने हेतु आवश्यकतानुसार कार्य–कलाप व गतिविधियां आयोजित की जाए।
9. आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को किशोरावस्था की संवेगात्मक चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। वार्डन एवं अन्य स्टाफ विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनकी पारिवारिक माहौल में देखभाल करें। यदि आवासीय विद्यालयों में बालिकाएं भी आवासित हैं, तो महिला स्टाफ को ही वरीयता के आधार पर वहां नियोजित किया जाए।
10. विद्यालय स्तर पर उपर्युक्त समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण/स्पष्टीकरण हेतु संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक), एक पुरूष शिक्षक एवं एक महिला शिक्षक, एक छात्र, एक छात्रा तथा एक गैर शैक्षणिक कार्मिक की समिति का गठन किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि इस समिति के समस्त सदस्य लैंगिक संवेदनशील व समानता के पक्षधर हों।
11. विद्यालय में विधिवत रूप से शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसके सम्बन्ध में समस्त विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से अवगति प्रदान की जाए। इस पेटिका को उपर्युक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से खोला जाए तथा प्राप्त शिकायतों का पंजीयन इस हेतु संधारित अभिलेख पंजिका में किया जाए। इस प्रकार प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
12. यदि सम्भव हों,तो विद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थानों पर लिखित चेतावनी सहित CCTV कैमरे लगाए जाए।
13. सभी शिक्षक कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर सूक्ष्म निरीक्षण की वृत्ति अपनाएं। यदि किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन में आकस्मिक गिरावट, अरूचि अथवा अवसाद के लक्षण नजर आएं, तो उस स्थिति में पूर्ण सावधानी एवं संवेदनशीलता बरतते हुए उचित निर्देशन एवं परामर्श देकर पुनः मुख्य धारा में लाने के सभी सम्भव प्रयास किए जाएं। गम्भीर प्रयास के पश्चात् भी सुधार/उपचार के लक्षण नजर नहीं आने पर आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जाए। यदि विद्यार्थी के उपर्युक्त लक्षणों की पृष्ठभूमि में कोई उत्पीड़न/प्रताड़ना की घटना प्रकाश में आए, तो त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए।
14. विद्यालय के सूचना पट्ट तथा सुदृश्य स्थानों पर Child help line से सम्बन्धित दूरभाष : 1098 का स्पष्ट अंकन किया जाए तथा इस बारे मे समस्त विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए।

Scanned by CamScanner

अतः समस्त उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान, शिक्षकगण एवं अन्य विद्यालयी स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि लैंगिक समानता के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें एवं विद्यालयों में पूर्णतः भयमुक्त एवं विभेदमुक्त वातावरण के निर्माण में अपना भरसक योगदान प्रदान करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.24 (4) शिक्षा–6 / 2014 जयपुर, दिनांक : 20.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में आवश्यक प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner